न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा सोजत
पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 07/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. फाउलाल पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी बेरा गोरवा, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला—पाली, (राज॰)		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 29.05.2017

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना—पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी के दादा हंसाराम पुत्र मूलाराम की हक—हकुक, खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2024, 2025, 2030, 2031 कुल किता खसरा 04 रकबा 0.3000 कृषि भूमि स्थित है। रिवाईज्ड सेटलमेन्ट के वर्तमान खसरा संख्या 2024 रकबा 0.1200 हैक्टर जो पुराने खसरा संख्या 282/4 एवं 282/3 इसी प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 2029 के पुराने खसरा संख्या 282/5 वर्तमान खसरा संख्या 2030 के पुराने खसरा संख्या 282 से मिलकर बने है। प्रार्थी के पड़दादा मूलाराम पुत्र भैराराम है, जिनके दो पुत्र मूला एवं टीकम हुए। मुला के एक पुत्र हंसा व टीकम के चार पुत्र नवलो, पमो, रूगो, जीतों हुए। हंसा के चार पुत्र भोलाराम, पोकरराम, राजूराम व नारायण हुए। पोकर के तीन पुत्र चम्पालाल, प्रकाश व फाउ हुए और राजूराम के दो पुत्र केवल और गोपाल हुए। प्रार्थी फाउलाल के दादा हंसा पुत्र मूलाराम है न कि टीकमराम। भैराराम के दो संतान मूलाराम व टीकमराम हुई थी। हंसाराम व हंसाराम की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। भोलाराम व नारायणलाल का निवर्सीयती स्वर्गवास हो चुका है, जिनका हिस्सा पोकरराम, राजूराम में निहित हो चुका है। प्रार्थी के पिता पोकरराम का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनके स्वर्गवास होने के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार चम्पालाल, प्रकाश व प्रार्थी फाउलाल प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है। उपरोक्त वादस्थ कृषि प्रार्थी के दादा हंसाराम पुत्र मूलाराम के नाम ही खातेदारी कृषि भूमि थी जो जमाबन्दी सम्वत् 2026 —29 में व जमाबादी सम्वत् 2030—33 में हंसा पुत्र मूला नाम दर्ज है तथा हंसा की वल्दियत भी मूलाराम दर्ज है। सम्वत् 2030—33 के पश्चात् दौराने सेटलमेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

अधिकारियों की गलती की वजह से प्रार्थी के दादा हंसाराम की वल्दियत त्रुटि व भूलवश मूला की जगह टीकमराम दर्ज हो गई जबकि प्रार्थी के दादा मूलाराम की वल्दियत टीकमराम न होकर मूलाराम है। टीकमराम हंसाराम का काका है न कि पिता। मूला व टीकम दोनो सगे भाई है। हंसाराम की सही वल्दियत सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 व 2030–33 में दर्जसुदा है। सेटलमेन्ट के पश्चात् प्रार्थी के दादा की वल्दियत मूलाराम की जगह टीकमराम गलत दर्ज कर दी जिसे पुनः दुरूस्ती करवाकर हंसाराम मूलाराम पि0 टीकमराम के स्थान पर हंसाराम पुत्र मूलाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज हंसा मूला पि0 टीकमराम के स्थान पर हंसा पुत्र मूला दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन्स वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने दिनॉक 11.02.2017 को जबाब प्रा0पत्र पेश किया, जिसकी प्रतिलिपी अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई।

अप्रार्थी ने जबाब इस आशय का पेश किया है कि वर्तमान में जमाबंदी में हंसा मूला पिसरान टीकमराम दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वल्दियत गलत अंकित की गई है। शेष खसरा व रकबा सही है। प्रार्थना पत्र के पैरा सख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया है। पेरा संख्या 3 जानकारी के अभाव में, पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से पैरा संख्या 5 म्याद बाहर होने से अस्वीकार किये है व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस सुनी गई है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 136 भ0राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार किया गया। प्रार्थी ने वल्दियत गलत होने के समर्थन में कोई साक्ष्य,सबूत के दस्तावेज पेश नही किये हैं। वंशावली का अवलोकन किया गया। वंशावली को साबित करने हेतु सबूत पेश नही करने से इस प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश न करने से तथा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं करने से तथा ठोस दस्तावेजी सबूतों के अभाव में अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का खारिज किया जाता है। अधिवक्ता मय प्रार्थी समस्त साक्ष्य सबूतों के दस्तावेज संलग्न करते हुए नये सिरें से वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2017 को न्याय आपके द्वार कार्यक्रम – 2017 में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट – न्यायालय हाजा सोजत पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत